श्री गौतम कृष्ण, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल प्रश्न संख्या-18/02/170 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :	
बिहार के कोसी क्षेत्र, विशेषकर महिषी विधानसभा, में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ से जन-धन की क्षति होती है ? स्थायी समाधान हेतु "कोसी प्राधिकार" का गठन कर उसे लागू किया जाए तथा तटबंध सुदृढ़ीकरण, पुनर्वास और जल प्रबंधन की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ? मैं सरकार से माँग करता हूँ ?	वस्तुस्थिति यह है कि:- कोसी नदी पर भीमनगर (सुपौल) के समीप कोसी बराज निर्मित है। इस बराज के दोनों तरफ स्पर के साथ तटबंध (पूर्वी कोसी तटबंध एवं पश्चिमी कोसी तटबंध) निर्मित है। इन तटबंधों/स्परों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 'कोसी उच्चस्तरीय समिति' के परामर्शानुसार कार्य कराए जाते है। वर्तमान में दोनों तटबंध सुरक्षित है। तटबंध निर्माण के क्रम में पुनर्वासितों के पुनर्वास हेतु कुल 134 पुनर्वास स्थल चिन्हित हैं। जहाँ मूल आवंटियों/विस्थापितों को बसाया गया है एवं कुछ मामलों में इन्हें चिन्हित कर पुनर्वासित कराया जा रहा है। 'कोसी प्राधिकार' का गठन एक उच्चस्तरीय मामला है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं.-4176/2022 श्री अरविन्द कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य मामले अन्तर्गत नेपाल क्षेत्र में 'कोसी हाई डैम' निर्माण संबंधी वाद वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-04.02.2023 को पारित आदेश में भारत सरकार, नेपाल एवं बिहार सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए 'कोसी विकास प्राधिकरण' के गठन का निदेश दिया गया था। 'कोसी विकास प्राधिकरण' का गठन एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण इसपर अग्रेत्तर कार्रवाई जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है। उक्त निदेश के आलोक में माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा पत्रांक-165 दिनांक-06.03.2023 के माध्यम से भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, परन्तु इस संबंध में सूचना अबतक अप्राप्त है।

A.E./PMA-12 EE/2 SE-4 CE(N) P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य0(वि0)–13–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके अष्टादश बिहार विधान सभा, के द्वितीय सत्र के प्रसंग में शून्य काल सूचना संख्या–18 / 2 / 170 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य0(वि0)–13–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य0(वि0)–13–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य0(वि0)–13–05 / 2026– 2279 पटना, दिनांक– 22/05/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.05.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
21.05.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo